हमारे राज्य के न्यायालयों में मुकदमें जल्दी कैसे निपटें ?

हमारे देश में न्यायालयों में मुकदमें वर्षों चलते रहते हैं और पक्षकारों को बहुत असुविधा होती है। सोचने में आता है कि वे कौन से कारण हैं जिनसे न्यायालयों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है ? अधिकांश मुकदमें लोअर कोर्ट में लम्बित होते हैं और उनके निस्तारण में वर्षों लग जाते हैं। इसलिए उन प्रथाओं को लोअर कोर्ट में भी चालू करना चाहिए जो हमारे उच्च और उच्चतम न्यायालयों में शुरू हो गई है। जैसे कि-

1. **समय की पाबन्दी-** यदि समय की पाबन्दी हर जगह लागू हो जाये तो लेटलतीफी का आलम समाप्त हो जाएगा। यदि न्यायलय में वकील ठीक दस बजे पहुंच जाये और पांच बजे तक टिके रहें तो मुव्वकिल को अपने वकील को इधर उधर तलाश करने में परेशान नहीं होना पडेगा। इसी तरह यदि न्यायाधीश समय पर डायस पर बैठ जाए तो वकीलों को अपने आप समय पर आने की आदत डालनी पड़ेगी। राजस्थान में कुछ ऐसे कर्मठ न्यायाधीश हैं, जो समय के इतने पाबन्द है कि उनकी कोर्ट में यदि कोई केस लग जाता है, तब वकीलों को यह स्पेशल ध्यान रखना होता है कि उनका केस कहीं अगली पेरवी में खारिज ना हो जाए, क्योंकि सुबह 10 बजे ही आवाज लग जाती है।

2. **तारीख पर तारीख देना-** अदालतों में यह देखा गया है कि पेशी की अगली तारीखें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, जिनसे केस वर्षों तक लटकता रहता है। यदि नियत तारीख पर केस की सुनवाई हो जाए तो गवाहों, आरोपी और पक्षकारों को बहुत सुविधा हो जाए। जब तक उचित कारण कोई भी पक्षकार का वकील न्यायालय के समक्ष नहीं रखे, तब तक उस केस में यदि तारीख नहीं मिले तो मुकदमें जल्दी खत्म होंगे। यदि तीन बार से अधिक तारीख पर गवाह नहीं आये तो उस गवाह को बन्द कर देने का आदेश देने की प्रथा शुरू कर देने से फालतू गवाह भी कम हो जाएंगे।

3. अदालतों में शोक सभा, कण्डोलेन्स या रेफरेन्स के नाम पर भी यदा कदा अचानक कामकाज बन्द हो जाता है या लंच के बाद नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय की तरह यदि सभी न्यायालयों में महीने के अन्तिम शनिवार की शाम को महिने भर के दौरान गुजरे हुए वकीलों की शोक सभा रखी जाए तो बार-बार छुट्टी होने से बच जाए। आरोपी, गवाह, उसके वकील दूर दूर से आते हैं। बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर आते हैं और आने पर जब उनको पता चलता है कि आज तो कण्डोलेन्स के कारण कुछ नहीं होगा, तब उनको कितनी कोफ्त होती है यह कोई भुक्तभोगी ही जानता होगा या बता सकता है। जिन लोगों की बेल होना होती है और कण्डोलेन्स के कारण सुनवाई नहीं हो पाती है, उन लोगों से कोई जाकर पूछे कि कण्डोलेन्स का क्या मतलब होता है?

4. **हड़ताल, आन्दोलन**- यदि कोई डॉक्टर हड़ताल पर चला जाए तो मरीज की जान पर बन आती है। इसी प्रकार कभी वकीलों की हड़ताल हो जाए तो निर्दोष लोगों की क्या हालत होगी, यह कोई भुगत भोगी ही बता सकता है। और तो और जयपुर में ऐसा देखा गया है कि हड़ताल की बर्सी पर भी छुट्टी मनाई जाती है। दुःखद घटनाओं को याद करके यदि वकील लोग काम बन्द कर देंगे तो बेचारे गरीब मुव्वकिलों का क्या होगा ?